



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082026-275182
CG-DL-E-04082026-275182

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4147]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 4, 2026/श्रावण 13, 1948

No. 4147]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 4, 2026/SHRAVAN 13, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर रेलवे (सड़क सुरक्षा परियोजना इकाई)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2026

का.आ. 4323(अ).— केन्द्रीय सरकार रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खण्ड (37—क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से—

- दिल्ली—अम्बाला सेक्शन पर नरेला—होलम्बी कलॉ स्टेशनों के बीच कि.मी. 25.418 पर स्थित समपार संख्या 16 स्पेशल पर 4 लेन आर.ओ.बी. (रेलवे व्यय पर) का निर्माण नरेला के निकट।
- दिल्ली—भटिण्डा सेक्शन पर घेवरा—बहादुरगढ़ स्टेशनों के बीच कि.मी. 23.522 पर स्थित समपार संख्या 18—बी पर 4 लेन आर.ओ.बी. (रेलवे व्यय पर) का निर्माण घेवरा के निकट।

उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल में स्थित, के निर्माण में लोक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपबधित कराने हेतु, दिल्ली के जनपद बाहरी उत्तरी दिल्ली में लगभग 1.096 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण हेतु “विशेष रेल परियोजनाओं” के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. 02/आर.एस.पी/लैंड एक्वीजिशन/एल.सी.-16— स्पेशल एंव एल.सी.-18—बि/डि.एल.आइ डिव0.]

संजय कुमार श्रीवास्तव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS**[Northern Railway (Road Safety Project Unit)]****NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd August, 2026

S.O. 4323(E).—In exercise of the power conferred by clause (37-A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act-2008, the Central Government hereby notifies the projects of -

1. “Provision of 4-lane ROB (at Railway Cost) in lieu of LC no. 16 SPL at KM 25.418 between Narela- Holambi Kalan Stations, on Delhi-Ambala Section near Narela”

And

2. “Provision of 4 lane ROB (at Railway Cost) in lieu of LC no. 18-B at KM 23.522 between Ghevra-Bahadurgarh station on Delhi- Bhatinda section near Ghevra”

In Delhi Division of Northern Railway as a "**Special Railway Projects**" for acquisition of approximately **1.096** hectares of land in Outer North District in the Union territory of Delhi, for providing national infrastructure for public purpose with effect from the date of publication of this notification in the official gazette.

[F. No. 02/RSP/Land Acquisition/LC 16-SPL & LC 18 B /DLI DIV.]

SANJAY KUMAR SRIVASTAVA, Chief Administrative Officer/Construction